महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई)

अनुदेश प्रपत्र

महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना (एमजीपीएसवाई) में आपका स्वागत है, जो प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से आपके लिए तैयार की गई सामाजिक सुरक्षा योजना है।

जैसा कि आप जानते ही हैं, एमजीपीएसवाई निम्नलिखित लाभ प्रदान करती हैं:

- वृद्धावस्था में पेंशन
- वापसी और पुनर्वासन (आरएंडआर) लाभ
- जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई) के अंतर्गत प्राकृतिक मृत्यु के मामले में जीवन बीमा सुरक्षा

कृपया ध्यान दें कि एमजीपीएसवाई में आपका नामांकन एमजीपीएसवाई के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली समस्त उप-योजनाओं (आरएंडआर स्कीम, एमजीपीएसवाई-जेबीवाई तथा एनपीएस लाइट) में आपके सफलतापूर्वक पंजीकरण के अध्यधीन है। अत: आपके बैंक खाते में धनराशि के अभाव के कारण आप स्कीम में सब्सक्राइबर के रूप में नामांकित होने में समर्थ नहीं रहेंगे।

एमजीपीएसवाई में सफलतापूर्वक पंजीकरण हो जाने की स्थिति में आपको भारत में आपके पत्राचार के पते पर निम्नलिखित वैयक्तिक दस्तावेज/कार्ड प्राप्त होंगे:-

1. एनपीएस लाइट में आपका पंजीकरण होने के तौर पर पीएफआरडीए द्वारा जारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या कार्ड
2. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से वापसी एवं पुनर्वासन (आरएंडआर) बचत की प्रथम निवेश फोलियो विवरणी
3. एनआईसी द्वारा जारी बीमा सुरक्षा के लिए एमजीपीएसवाई-जेबीवाई सदस्यता प्रमाण-पत्र

किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा स्कीम की ही भांति, एमजीपीएसवाई से भी दीर्घ अवधि में लाभ प्रदान करने की आशा की जाती है बशर्ते कि आप अपना अंशदान नियमित रूप से करते रहें और नीचे उल्लेख किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें:

आपका अंशदान : एक सब्सक्राइबर के रूप में, आपको प्रथम अंशदान करना होगा ताकि आप अपनी पेंशन और आरएंडआर बचतों पर सरकार के सह-अंशदान के लिए पात्र बन सकें।

कृपया यह सुनिश्चित करें कि एनपीएस-लाइट तथा आरएंडआर बचतों के लिए आपको अंशदान नियमित रहे।

- गैर-बाधित सेवा के लिए, कृपया अपने उस खाते में पर्याप्त शेष राशि जमा रखें जहां से आपने अपने बैंक को अपना स्थायी अनुदेश (एसआई)/इलेक्ट्रॉनिक क्लीयरिंग सेवा (ईसीएस) अनुदेश जारी किया है। आपके खाते में धनराशि के अभाव के कारण आपका बैंक खाता स्कीम में अंशदान करने में समर्थ नहीं रहेगा और उस स्थिति में आप एमओआईए से प्राप्त होने वाले सह-अंशदान से वंचित हो जाएंगे।
- यदि आपको बैंक खाते में धनराशि की कमी के कारण आपका धन-प्रेषण असफल हो जाता है, तो आपके बैंकर द्वारा आपसे शास्तियां भी प्रभारित की जा सकती हैं। अत: ऐसी शास्तियों से बचने के लिए आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि धन-प्रेषण की तारीख को आपके खाते में पर्याप्त धनराशि विद्यमान हो।
- किसी भी त्रुटिपूर्ण भूगतान के लिए एमओआईए द्वारा किसी भी शास्ति को उद्ग्रहित नहीं किया जाएगा।

एक सब्सक्राइबर होने के नाते, आप स्कीम के अंतर्गत पांच वर्ष की अवधि के लिए अथवा आपके भारत वापस लौटने के समय तक, जो भी पहले हो, सरकार के सह-अंशदान का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। कृपया ध्यान दें कि भारत में आपकी वापसी पर, आपको संबंधित सहयोगकर्ता के माध्यम से आपकी वापसी के बारे में एमओआई को सूचित करना होगा।

सब्सक्राइबर प्रभार

- सब्सक्राइबर प्रभारों का संग्रहण आपके एमजीपीएसवाई खाते में आपके द्वारा अंशदान की गई तथा एमओआईए द्वारा अंशदान की गई कुल निधि से सीधे ही कर लिया जाएगा। एमजीपीएसवाई खाते के लिए लागू स्कीम भागीदार प्रभार इस प्रकार हैं:

पेंशन खाता एनपीएस लाइट

संग्रहक	ग्राहक सेवा	कोई प्रभार नहीं
सीआरए	पीआरए ओपनिंग प्रभार	35 रुपए (एकबारीय प्रभार)
	प्रतिखाता वार्षिक पीआरए अनुरक्षण लागत	70 रुपए प्रतिवर्ष
न्यासी बैंक	प्रति लेन-देन प्रभार	5 रुपए (प्रतिवर्ष प्रथम 12 लेन-देन नि:शुल्क)
अभिरक्षक	गैर-आरबीआई अवस्थिति से उत्पन्न होने वाला प्रति लेन-देन	15 रुपए
	आस्ति सेवा प्रभार	इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट के लिए 0.0075 प्रतिशत प्रति वर्ष तथा भौतिक सेगमेंट के लिए 0.05 प्रतिशत प्रतिवर्ष

आरएंडआर बचत यूटीआई एमआईएम स्कीम

एंट्री लोड (एनएवी के प्रतिशत के रूप में)	शून्य	
वार्षिक आवर्ती व्यय	एनबीए की दैनिक औसत के प्रतिशत के रूप में कुल आवर्ती व्यय एनवीए की दैनिक औसत के प्रतिशत के रूप में कुल प्रबंधन शुल्क	1.80 प्रतिशत

तथापि, इनकी पूर्ति एमओआईए से प्राप्त होने वाले सह-अंशदान से नहीं की जाएगी।

एमजीपीएसवाई कार्ड को पुन: जारी करने के लिए प्रभार। एमजीपीएसवाई कार्ड के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने की स्थिति में, सब्सक्राइबर 20 रुपए की अल्प लागत पर कार्ड को पुन: जारी कराने के लिए निकटतकम एमपीजीएसवाई से संपर्क कर सकता है।

किसी भी प्रकार की शिकायत के की सूचना देने के लिए griev.mgpsy@moia.nic.in को अथवा शिकायत प्रकोष्ठ - एमपीजीएसवाई, प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 9वां तल, अकबर भवन, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली-110021 को लिखें।

एमजीपीएसवाई के बारे में अधिक जानने के लिए कृपया अपनी एमजीपीएसवाई सब्सक्राइबर विवरणिका अथवा एफएक्यू का अवलोकन करें अथवा टोल फ्री नम्बर 1800-113-090 (भारत), 80046342 (यूएई) पर कॉल करें तथा विकल्प के तौर पर हमें ई-मेल 'inf.mgpsy@moia.nic.in, help@iwrx_uae.com' पर लिखें अथवा वेबसाइट http://www.moia.gov.in का अवलोकन करें। आप अपने नजदीकी प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स कार्यालय अथवा मिशन कार्यालय अथवा सहयोगकर्ता से भी संपर्क कर सकते हैं, जो आपको स्कीम में पंजीकरण कराने में आपकी सहायता करेगा।